

## पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों पर भारत की प्रतिक्रिया

**डॉ अरविन्द सिंह यादव<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बड़ा मलेहरा, छतरपुर म0प्र0

Received: 24 Oct 2024    Accepted & Reviewed: 25 Nov 2024,    Published : 30 November 2024

### Abstract

पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है परि+आवरण 'परि' का अर्थ चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ ढका हुआ या घेरे हुए परिस्थितियाँ जो मनुष्य और अन्य जीवों को चारों ओर से घेरती है पर्यावरण कहलाती है प्रकृति पर्यावरण के विनाश द्वारा मनुष्य मात्रहन्ता हो गया है एक प्रकार से उसने प्रथ्वी माता को मार डाला है न्यायाधीश अरिजीत पशायत के अनुसार यह स्वयं सिद्ध है कि मनुष्य प्रकृति का भाग है और जीवन प्राकृतिक प्रणाली को अवरोध रहित कार्यकरण पर निर्भर रहता है।

गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो राम चरित मानस में लिपिबद्ध पर्यावरण से जुड़ा तथ्य है – छिति जलपावक गगन समीरा ,पंचरचित अति अधम शरीरा अर्थात् पर्यावरण में सभी भैतिक तत्व और जीव सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी जीवन कियाओं को प्रभावित करते हैं।

पर्यावरण के मुद्दे पर UN के तत्वाधान में सन् 1972 में 3–16 जून (स्टाकहोम) स्वीडन में सम्मेलन आयोजित किया गया जिसको स्टाकहोम पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन 1972 के नाम से जाना गया एवं उसके बाद अन्य सम्मेलन 1982 नैरोबी घोषणा पत्र ,प्रकृति के लिए विश्व अभिलेख –1980 अर्थ समिट(रियो डिजिनेरियो—1992) आदि ।

Our common future ( हमारा साझा भविष्य ) ने पर्यावरण की खराब दशा को खूब दर्शाया है और अवनतिशील पर्यावरण को सुधारने के लिए कई सुझाव भी दिए। भारत ने जो इन अंतर्राष्ट्रीय घोयाणयों में सहभागी था इस समस्या को रोकने के लिए महत्वपूर्ण विधायी और कार्यपालिक कदम उठाया है ग्रीनपीस :– जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में ग्रीनपीस की स्थापना 1971 में कनाडा में हुयी उसका प्रमुख उद्देश्य विश्व के राष्ट्रों की ऐसी सरकारी एवं आंदोलिक नीतियों को प्रकाश में लाना तथा उनमें परिवर्तन करना है। जो पृथ्वी पर पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति चुनौती पेश करती है प्रकृति के लिए विश्व व्यापी कोष की अधिकारिक रूप से स्थापना ज्यूरिक (स्विजरलैण्ड) में एक चैरिटी के रूप में 11.09.1961 को की गई यह संगठन प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक अनुभवी संगठन है।

**शब्दकुँजी** – पर्यावरण, भारत, ग्रीनपीस, स्टाकहोम, पृथ्वी सम्मेलन, तुलसीदास

### Introduction

विकास के मार्ग का चयन तो मुख्यतः विकासशील देशों की समस्या है परन्तु विकास का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व के पर्यावरण पर पड़ता है क्योंकि विकासशील या अल्पविकसित देशों के औद्योगिक लिए वहाँ की विशाल जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जरूरी हो जाता है जबकि दूसरी ओर विकसित देशों में कुल जनसंख्या के लिए भरपूर संसाधनों का दोहन किया जाता है जिससे

सीधा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, शुमेकर की चर्चित पुस्तक है (लघुता से सुंदरता है) 1973 के अंतर्गत पर्यावरण का आरभिक संकेत मिलता है उसमें आधुनिक औद्योग समाज की समीक्षा प्रस्तुत की गई-

### पर्यावरण के तत्व –

पर्यावरण के तत्वों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –

अजैवतत्व वर्ग (Abiotic or Physical Components) और जैवतत्व वर्ग (Biotic Components)

#### **(क) अजैव या भैतिक तत्व वर्ग**

(i) जलवायिक तत्व (Climatic Factors) – जैसे सूर्य प्रकाश एवं ऊजा, तापमान, हवा, वर्षा, आदि, वायुमण्डलीय गैस आदि।

(ii) स्थलजात तत्व (Topographic Factors) – जैसे उच्चावच ठाल पर्वत दिशा इत्यादि।

(iii) जलस्रोत (Water Bodies) – उसमें सागर, झील भूमिगत जल आदि सम्मिलित है।

(iv) मुद्रा – जैसे मुद्रा रूप, मुद्रा जल, मुद्रा वायु आदि।

(v) खनिज एवं चट्टानें (Minerals and rocks) – धात्विक एवं अधात्विक खनिज, ऊर्जा, खनिज एवं चट्टानें आदि।

(vi) भौगोलिक स्थिति (Geographical Location) – जैसे तटीय, मध्य प्रदशीय, पर्वतीय आदि।

#### **(ख) जैव तत्व वर्ग (Biotic Components) –**

इसके अन्तर्गत वनस्पति, जीव, जन्तु, मानव एवं सूक्ष्म जीव आते हैं

पर्यावरण के कारक (factors of Environment) – पर्यावरण के कारक को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –

(क) पारिस्थितिकी कारक

(ख) अजैविक कारक

(क) पारिस्थितिकी कारक :– इस कारक के अन्तर्गत तीन कारक आते हैं :

(1) जैविक कारक

(2) वायुमण्डल कारक

(3) अग्नि कारक

(1) **जैविक कारक** :– प्रकृति के सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जैविक कारकों के अन्तर्गत निम्नलिखित कारक आते हैं :

(i) प्राणियों के जैविक सम्बन्ध

(ii) पौधों के जैविक सम्बन्ध

(iii) प्राणियों का पौधों पर प्रभाव और

(iv) मानव का योगदान

(2) **वायुमण्डल कारक** :– वायु का ऐसा आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुये है उसको वायुमण्डल कहते हैं। वायुमण्डल कारकों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है

- (i) ओजोन मण्डल
- (ii) आयन मण्डल
- (iii) समताप मण्डल
- (iv) क्षोभ स्तर

**(3) अग्नि कारक:**— अग्नि ताप की उस अवस्था को कहते हैं जिसपर पहँचकर पदार्थ जलनें लगते हैं । तीव्रता एवं फैलाव के आधार पर अग्नि तीन प्रकार की हो सकती है ।

- (i) शिखर अग्नि (Crown Fire)
- (ii) बहिस्तल अग्नि (Surface Fire)
- (iii) भू—अग्नि (Ground Fire)

**(ख) अजैविक कारक :**— अजैविक कारकों को दो भागों में बाँटा जा सकता है :

- (i) भौतिक कारक और
- (ii) रासायनिक कारक ।

**(i) भौतिक कारक:**— भौतिक कारकों के अंतर्गत वे कारक आते हैं जो अपने भौतिक गुणों द्वारा पर्यावरण में विद्यमान जीवों को प्रभावित करते हैं । भौतिक कारकों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

- (i) ताप कारक और
- (ii) प्रकाश कारक

**(ii) रासायनिक कारक:**— वे कारक रासायनिक कारक कहे जाते हैं जो अपने रासायनिक गुणों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं इसके अन्तर्गत दो कारक आते हैं जो निम्नलिखित हैं :

- (i) जल कारक और
- (ii) मुद्रा कारक ।

### पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) तथा यूनेस्को ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम वर्ष 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कायक्रम प्रारम्भ किया जिसके उद्देश्य वर्ष 1975 के बेलग्रेड चार्टर के रूप में सामने आये— बेलग्रेड चार्टर — 1975

1. पर्यावरण की दशा का मूल्यांकन करना
2. पर्यावरण के लिए लक्ष्य निर्धारण करना
3. पर्यावरण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना

#### 4. पर्यावरण अध्ययन को उद्देश्य परक बनाना

व्यावहारिक रूप में पर्यावरण अध्ययन के अन्य महत्व –

1. जैवविविधता के संरक्षण हेतु आधुनिक पर्यावरणीय अवधारणा को स्पष्ट करना
2. जीवन को अधिक संधारणीय बनाने हेतु
3. प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने हेतु
4. विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में जीवों के व्यवहार के अध्ययन हेतु
5. आबादी एवं समुदायों में जीवों के मध्य अन्तर्सम्बन्धों के अध्ययन हेतु
6. सतत विकास के बोध हेतु

**प्रथ्वी सम्मेलन—** जैव विविधता के ह्यस को राकनें तथा जैव संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1992 ई0 में ब्राजील देश के रियो-डी-जेनेरो जो सम्मेलन हुआ उसे ही प्रथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया इस सम्मेलन में भारत सहित विश्व के 155 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके विश्व जैव संरक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलियित उपायों के करने पर बल दिया

1. संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिये
2. प्रजातियों को लुप्त होनें से बचाने के लिये उचित योजनायें एवं प्रबंधन अपेक्षित है
3. खाघान्नों की किश्में, चारे सम्बन्धी पौधों की किश्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन जन्तु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित रखना चाहिए
4. प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हत कर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिये
5. प्रजातियों के पलनें बढ़नें तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो
6. वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो

**मॉर्टियल प्रोटोकॉल—** 16 सितम्बर 1987 को ही मॉर्टियल सन्धि पर 46 देशों ने हस्ताक्षर किये गये थे इसलिये प्रत्येक वर्ष 16 सितम्बर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के क्षय की सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1974 में अमेरिकी रसायनशास्त्री एफ शरकुड़ रालैड व मैरिनी मोलिना ने दी थी

क्लोरो फ्लोरो कार्बन सूर्य की किरणों से प्रतिक्रिया कर क्लोरीन व क्लोरीन मोनो-आक्साइड के अणु उत्सर्जित करते हैं जो ओजोन परत को क्षति पहुँचा रहे हैं परिणाम स्वरूप वर्ष 1974 में अमेरिका, नार्वे, स्वीडन व कनाडा जैसे देशों ने उन ऐयरोसोल के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया जिनमें (CFC) का प्रयोग होता है। ओजोन को बचाने के इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत वियना सम्मेलन में मॉर्टियल सन्धि पारित की गयी उस सन्धि के अन्तर्गत वर्ष 1974 तक (CFC) का स्तर 1986 के स्तर के 80% कम करने और वर्ष 1999 तक 1986 के स्तर के 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया भारत ने अगस्त 2008 में ही (CFC) के उत्पादन पर रोक लगा दी है

**पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024—** येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पालिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा 5 जून 2024 को विश्व के 180 देशों का 'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024' जारी किया गया। सूचकांक में भारत 180 देशों में 176 वें स्थान पर है जो पाकिस्तान

,वियतनाम, लाओस और म्यांमार से केवल ऊपर है 2022 के सूचकांक में भारत अन्तिम स्थान पर था। वैश्विक स्तर पर एस्टोनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59 प्रतिशत की कमी लाकर, सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर-लेस्ते और यू.के. का स्थान है। ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत को वायु गुणवत्ता, अनुमानित उत्सर्जन और जैव विविधता तथा आवास के मामले में सबसे निचले स्थान वाले देशों में रखा गया है। इ.पी.आई. के कई संकेतकों में भारत के पिछड़ने का मुख्य कारण इसकी कोयले पर निर्भरता है जो न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है, बल्कि वायु प्रदूषण स्तर को भी बढ़ाता है, वायु गुणवत्ता में भारत 177 वें स्थान पर है और 2025 तक अनुमानित उत्सर्जन में वह 172 वें स्थान पर है।

### पर्यावरण आंदोलन एवं आंदोलनकर्ता

**चिपको आन्दोलन—** यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से वर्ष 1970 में प्रारम्भ किया गया था। इस आन्दोलन के अंतर्गत उत्तराखण्ड (तत्कालीन उत्तर प्रदेश) के वनों में वृक्षों की कटाई को राकने के लिये लोगों द्वारा वृक्षों से चिपक कर वृक्षों को गले लगाकर शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। चिपको आन्दोलन के सुत्रधार एवं नेतृत्वकर्ता सुदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चण्डी प्रसाद भट्ट थे। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ताओं में मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं शमिल थीं जो अपने जीवन यापन के साधन व समुदाय को बचाने के लिए तत्पर थीं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश इस आन्दोलन को वर्ष 1980 में तब एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जब तत्कालीन प्रथानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। भारत में वन वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आन्दोलन के कारण ही संभव हो पाया। बाद के वर्षों में इस आंदोलन का प्रसार बिहार, मध्य भारत, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश तथा कर्नाटक में भी हुआ।

**साइलेंट वैली आन्दोलन—** यह आन्दोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु किया गया था यह आन्दोलन कुंतीपुङ्गा नदी पर बनाई जा रही जलविद्युत परियोजना के विरोध में किया गया था क्योंकि परियोजना के निर्माण से इस क्षेत्र में पायी जानी वाली दुर्लभ जन्तु व पादप प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा था। यह पहला आन्दोलन था, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग ने अनेक कायकमों द्वारा इसे अपना समर्थन दिया। अंततः यह आन्दोलन सफल रहा तथा और वर्ष 1985 में इसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया।

घने वनों के कारण यह क्षेत्र अत्यन्त शान्त है, इसलिये इसे साइलेंट वैली (शान्त घाटी) के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र लायन टेलड मकाक, नीलगिरि लंभूर, बाघ आदि अनेक वन्य जीवों का आवास स्थल है।

**जंगल बचाओ आन्दोलन—** यह आन्दोलन अविभाजित बिहार के सिंहभूमि जिले (वर्तमान झारखण्ड) में प्रारम्भ किया गया था। 1980 के दशक के प्रारम्भ में सरकार ने सिंहभूमि जिले में प्राकृतिक साल वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर व्यावसायिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण सागौन के रोपण की योजना बनाई गई जिसका वहाँ के आदिवासी समुदाय द्वारा प्रबल विरोध किया गया। बाद में इस आन्दोलन का प्रसार वर्तमान झारखण्ड के अन्य क्षेत्रों तथा ओडिशा में भी हुआ। इसे जंगल बचाओ आन्दोलन का नाम दिया गया जबकि कुछ पर्यावरणविदों द्वारा इसे राजनीतिक लालच का खेल (A Greed Game Political Populism)

**सुन्दरलाल बहुगुणा—** (ठिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड) भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता, गांधीवादी एवं समाजसेवी हैं। उन्होंने चिपको आन्दोलन का नेतृत्व किया तथा ठिहरी बॉध के विरोध में अनशन भी किया उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन हिमालयी पारितंत्र, वन एवं नदियों के संरक्षण के लिए समर्पित किया है। उन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके प्रयासों के कारण उन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार (वर्ष 1986) राइट लाइबलीहुड अवार्ड (वर्ष 1987) तथा पद्म विभूषण (वर्ष 2009) आदि प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

**चण्डी प्राद भट्ट—** एक गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने वर्ष 1965 में गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की थी जो बाद में चिपको आन्दोलन का मातृ संगठन बना, इन्होंने सुन्दर लाल बहुगुणा के साथ मिलकर चिपको आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया है। पर्यावरण संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए उन्हें वर्ष 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2005 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2003 में उन्हें राष्ट्रवन आयोग का सदस्य नियुक्त गया था।

**सोनम वांगचुक—** लद्दाख में जन्मे सोनम वांगचुक एक इंजीनियर शिक्षा सुधारक एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अन्य छात्रों के साथ मिलकर वर्ष 1988 में स्टूडेन्ट्स एजूकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) की स्थापना की। इनके द्वारा डिजाइन किए गए (SECMOL) परिसर में सभी कार्यों के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने हिम स्तूप तकनीक का विकास किया है जिससे कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण करके सर्दियों में हिम के ढेर के रूप में जल का संचय किया जाता है इस संचित जल का उपयोग ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई करने एवं पीने के लिए किया जाता है। इन्होंने सैनिकों के लिए आरामदायक एवं अपेक्षाकृत गर्म मड हाउस का भी निर्माण कर रहे हैं उनके नवोन्मेषी प्रयासों एवं सफलताओं के कारण उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

**पर्यावरण से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दे—** वायु प्रदूषण, जलप्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण वनों की कटाई संसाधनों का कभी जलवायु परिवर्तन जैव विविधता का नुकसान भूमिका क्षरण आदि

1. **वायु प्रदूषण—** वायु में उपस्थित आक्सीजन पर ही जीवन निर्भर करता है वायु अनेक गैसों का सम्मिश्रण है जिसमें  $N_2$ (78%),  $O_2$ (21%), Ar(0.9%),  $CO_2$ (0.03%) विभिन्न गैसों का अनुपात निश्चित होता है इन गैसों का अनुपात में परिवर्तन से वायु प्रदूषण होता है जिसमें कार्बन मोनो आक्साइड तथा कार्बन डाइ आक्साइड अत्यधिक खतरीली गैसें हैं। कार्बन डाइ आक्साइड को दमघोटू गैस भी कहते हैं क्योंकि ये गैस स्वस्न के माध्यम से यह शरीर में पहँचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की  $O_2$  वहन क्षमता को 300 गुना तक कम कर देती है जिससे  $O_2$  की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

2. **नमामि गंगे परियोजना —** जून 2014 में केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य गंगा नदी संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं प्रदूषण को समाप्त करना है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट, नवनी करण जैव विविधता का विकास जन जागरूकता गंगा ग्राम योजना इसके अन्तर्गत आते हैं।

**जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974— उद्देश्य —** अधिनियम का उद्देश्य और उसका विस्तार उसकी उद्देशिका में अधिकाधिक किए गए हैं, जो निम्न प्रकार है “जल प्रदूषण के निवारण और

नियंत्रण और जल की स्वास्थ्य प्रदत्ता बनाए रखने या पूर्वविश्वा में लाने के लिए पूर्वोक्त प्रयोजनों को कियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए उनसे सम्बन्धित शक्तियाँ और क्रत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त और समनुदेशित विषयों के लिए उपबन्ध करना समीचीन है। अस्तु अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करना है इसके साथ ही यह जल की पूर्णता को बनाए रखने या प्रत्यावर्तित करने के लिए परिकालित है एवं इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को गठित करने की व्यवस्था भी करता है ज्ञातव्य है कि वर्णित उद्देश्य राज्य विधान मण्डल से सम्बन्धित है और संसद को संविधान के अधीन उसके अनुच्छेद 249<sup>1</sup> और 250<sup>2</sup> को छोड़कर उनके विषय में कोई शक्ति नहीं है अस्तु संसद ऐसे मामलों के विषय में विधि नहीं बना सकती परन्तु असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के विधान मण्डल इस प्रकार की विधि बनाने का अनुरोध करते हुए संकल्प पारित किए और तदनुसार संसद ने उसके अनुरोध के उत्तर में (संविधान के अनुच्छेद 252(1)(3)) इस अधिनियम को वर्ष 1974 अर्थात् भारतीय गणराज्य के 25 वें वर्ष में पारित किया गया था।

### भारत में पर्यावरण नीति

गुप्ता : कौटिल्यन जूरिस्प्रूडेन्स 155(1987)

जंगल से सम्बन्धित विधि

राज्य को जंगल बनाए रखना – शासक केवल उपजाऊ जंगलों और हाँथी जंगलों का संरक्षण नहीं करेगा किन्तु नये जंगलों को भी स्थापित करेगा। जंगलियों को जो उपजाऊ जंगलों में कार्य करते हैं वही बसाया भी जायेगा। 'पेड़ों को बचना' शहर के पार्क में वृक्षों को जो फल देते हैं काटने पर जुर्माना, 6 पनाज छोटी शाखाओं के काटने पर जुर्माना बारह पनाज पुष्ट शाखाओं को काटने के लिए जुर्माना 24 पनाज पेड़का धड़ काटने पर जुर्माना। प्रथम एमर्शमेण्ट पेड़ उखाड़ने पर मिडिलपोस्ट एमर्शमेण्ट पौधों के मामलों में जो फूल या फल या छाया देते हैं उपरोक्त जुर्मानों का आधा जुर्माना लगाया जायेगा तीर्थ के स्थान पर वृक्षों के माले में भी या शव जलाने के स्थान पर भी सीमा में वृक्ष के मामलों में या जो पाये जाते हैं या देवालय में है उपर्युक्त जुर्माने को दोगुना कर दिया जायेगा। वन को क्षति पहुँचाना – वन उपज का अध्यक्ष वन उपज को रक्षकों द्वारा उपज वन में ले जायेगा तथा कारखाने वन उपज के लिए स्थापित करेगा वह पर्याप्त जुर्माना और क्षतिपूर्ति जो उन पर लगाये जायेंगे नियत करेगा जिन्होंने उपजाऊ वन को क्षतिग्रस्त किया है किन्तु आपदाओं को छोड़कर।

वन उपज – शासक टिम्बर वन और हाँथी वन को व्यवहार में लायेगा उनसे निर्मित सामान के लिए वह कारखना स्थापित करेगा।

**पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष**— भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल (1997) पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की

भाँति अगली कतार में नजर आयेंगे 2005 के जून में ग्रुप 88 के देशों की बैठक हुई इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों ग्रीनहाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है साझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है क्योंकि इन देशों ने एक लम्बी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है।

**संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु – परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अन्तर्राष्ट्रीय मसलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है इस तर्क के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार के अन्तर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश (जैसे ब्राजील, चीन, और भारत) नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें भारत इस बात के खिलाफ है उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है भारतपर इस तरह की बाध्यता आयद करना अनुचित भी है भारत 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के (सन् 2000) के औसत ( 3.8 टन प्रति व्यक्ति ) के आधे से भी कम होगा 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जायेगी।**

भारत की सरकार विभिन्न कायकमों के जरिये पर्यावरण से सम्बंधित वैशिक प्रयासों में शिरकत कर रही है मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पालिसी के अन्तर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा Renewable ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है भारत बायोडीजल सें संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है इसके अंतर्गत 2011–12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेएक्टर भूमि का इस्तेमाल होगा भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कायकमों में से एक भारत में चल रहा है।

भारत ने पृथ्वी-सम्मेलन (रियो) के समझौतों के कियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया इसका निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नये और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करे ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके भारत का यह भी मानना है कि दक्षेस (SAARC) में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैशिक मसलों पर एक समान राय बनायें ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके।

## अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन व संधिया

अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन

1972

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कायक्रम (UNEP) की

स्थापना

(स्टाकहोम सम्मेलन: पर्यावरण का मैग्नाकार्ट)

5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय

मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम

करने की दिशा में किया गया प्रयास

वियना सम्मेलन

1985 ओजोन स्तर (परत) का संरक्षण

मॉण्ट्रियल सम्मेलन

1987

ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्रायद्वीय समझौता (मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल) 16 सितम्बर 1987 को हुआ था। 16 सितम्बर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय हुआ।

रियो सम्मेलन

1992

पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेण्डा-21 स्वीकृत किया गया जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फेमवर्क कन्वेशन (UNFCCC) की स्थापना।

नैरोबी घोषणापत्र

1997 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन।

क्योटो सम्मेलन (क्योटो प्रोटोकॉल)

1997

ग्रीनहाऊस गैसों की पहचान तथा भूमण्डलीय तापन को कम करना।

कोपनहेगन सम्मेलन

2009

वर्ष 1990 के स्तर में 5 प्रतिशत की कटौती का निर्णय विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक

(पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल)

का

रियो 20 सम्मेलन

2012

प्रावधान कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना।

(पृथ्वी-20 सम्मेलन)

पृथ्वी सम्मेलन के दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्र को सतत विकास सम्मेलन जिसमें द फ्लूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर बल।

लीमा सम्मेलन (CoP-20)

2014

वर्ष 2070 तक ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों प्रतिबद्धताएँ की स्वीकृत।

मैड्रिड सम्मेलन स्पेन (CoP-25)

वर्ष 2019 जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन।

**निष्कर्ष—** पर्यावरण से जुड़ी उपर्युक्त गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि आज विश्व में जन संख्या दबाव इतना अधिक हो गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आवश्यकता से अधिक हो रहा है जिसका प्रभाव समस्त मानव जाति एवं जीवों पर पड़ रहा है और सुधार के साथ —साथ विकास भी तेजी से हो रहा है लेकिन भारत सरकार द्वारा समय — समय पर पर्यावरण से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों को उठाया गया एवं नियम आदि बनाए गए जिससे पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े जो कि मानव जगत के लिए अहितकर हो सकता है। सुझावत कह सकते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नगरिक का है जिसमें अमीर गरीब सब शामिल हैं और जिनको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए संविधान के अनु० 48 (क) में भी पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था की गयी है जिसे नीतिनिदेशक तत्वों से हटाकर मूलकर्त्तव्यों में करना चाहिए जिससे प्रत्येक भारतीय अपनी जिम्मेदारी समझे ।

## ग्रन्थ सूची—

- 1- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी— महेश कुमार वर्णबाल (Cosmos Publication-Delhi,series-9)—2020,Page- 6,7,159,207,208,209,210,
2. समकालीन विश्व राजनीति (कक्षा-12 एन सी आर टी ) – 2021— 124,125,126
3. सामयिक घटनासार (अंक –2)(S.S. Publication प्रयागराज )
4. पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धान्त—(साहित्य भवन प० आगरा –बी०एल०फडिया)—page 101
5. भूगोल(राजीव प्रकाशन—प्रयागराज— डा०बी०पी०सिंह)—2019—20 page -201
6. स्मकालीन राजनीति सिद्धान्त— (ओ०पी०जाबा)—नेशनल पेपर पैक्स—नई दिल्ली—2020 page -399, 400
- 7- विश्व का भूगोल ( सीरीज – 4) महेश कुमार वर्णबाल – (Cosmos Publication-Delhi)—2020Page -125,133
8. पर्यावरण विधि ( Central Law Publication प्रयागराज ) – डा० जय जसराम उपाध्याय— 2016 – Page - 1,2,5,6,39,40,43,44